20 INDIA 20
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर, केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक । 07 निगरानी

209

R 335-I/07

कृष्ण कुमार पिता जमनालाल जी जाति कायस्थ निवासी ग्राम नाहरगढ़ तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर, हाल मुकाम ग्राम कांटा तहसील बड़ोद जिला शाजापुर -- निगरानीकर्ता

विरुद्ध

भगवानसिंह पिता नाथुसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कांटा तहसील बड़ोद जिला शाजापुर --- विपक्षी

श्री बी.एल. शर्मा अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 21/2/07 को कैम्प पर प्राप्त 21/2/07

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 भू0रा0सं0 विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 71 । 06-07 अपील में दिनांक 29-11-06 को पारित निर्णय से असन्तुष्ट होकर ।

माननीय महोदय,

प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी याचिका निम्नलिखित अनुसार सादर प्रस्तुत है :-

NShar 21/2/07 (B.L. Sharma)

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

इस प्रकार

1:- यह कि प्रार्थी निगरानीकर्ता ने अधिनस्थ न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी आगर बड़ोद व्दारा प्रकरण क्रमांक 23 । 03-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-7-06 से असन्तुष्ट होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत की थी ।

2:- यह कि उक्त अपील के साथ धारा 5 अवधि विधान का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था और उसमें विलम्ब का कारण दर्शाया गया था जिसमें अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17-7-06 को अधिनस्थ न्यायालय ने यथा समय नोट नहीं करवाया था और लगभग 1 माह पश्चात आदेश की नोट करवाया गया था। उसके पश्चात स्थानीय नियुक्त अभिभाषक ने नकल का आवेदन पत्र दिया और प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 12-10-2006 को प्राप्त हुई। अपीलांट - प्रार्थी निगरानीकर्ता दिनांक 10-10-06 से दिनांक 10-11-06 तक बुखार से पीड़ित होने से अस्पताल में भर्ती रहा इस कारण से अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं कर पाया और दिनांक 11-11-06 व 12-11-06 शासकीय अवकाश होने से अधिनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं कर सका । दिनांक 13-11-06 को,

निरन्तर -2

(209) (133)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी/335/एक/2007 | आ0गा0प्र0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 18/3/2016 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	